भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु.5

Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14AA 496376

महेन्द्रपाल [illegible] [illegible] निवासी [illegible]
गाजीपुर [illegible] 16 [illegible] के [illegible]
के [illegible]

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु. 5 Rs. 5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 14AA 496377

[illegible]
[illegible] 16800 [illegible]
[illegible]

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी
30/[illegible]

स्मृति- पत्र

1- संस्था का नाम :- मूलचन्द यादव शिक्षा समिति ।

2- संस्था का पता :- होलीपुर पत्रालय होलीपुर , तहसील-सैदपुर जि0-गाजीपुर

3- संस्था का कार्यक्षेत्र:- सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश ।

4- संस्था के उद्देश्य :- संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

(1) बालक-बालिकाओं के शैक्षणिकविकास केलिये प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल एवं इण्टर मीडिएटविद्यालय तथा उच्च स्तरतक की महाविद्यालय की स्थापना करना तथा संचालित करना ।

(2) ज्ञान-विज्ञान, ~~शैक्षिक,शारीरिक~~ ८२१२५ , मानसिक शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना ।

(3) निर्धन, असहाय तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्ति आदिकी सुविधाये उपलब्ध कराना ।

(4) नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं की भाषाओं का समुचित व्यवस्था करना ।

5- प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों केअनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्रमांक नाम	पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1- श्रीरमाशंकर सिंह यादव पुत्र	श्री कंरि यादव	ग्रा0 नसीरपुरपो0देवकली जिला गाजीपुर	अध्यक्ष	कृषि
2- श्री हरिलाल यादव पुत्र	श्री दल्लू यादव	ग्रा0 मढ़िया पो0 पटरही जि0- ~~गाजीपुर~~ जौनपुर	उपाध्यक्ष	"
3- श्री दशरथ यादव पुत्र	श्री दल्लू यादव	" "	मंत्री	"
4- श्री मूलचन्द सिंह यादव पुत्र स्व0	निठुरी सिंह.यादव	ग्राम पो0 होलीपुर गाजीपुर	प्रबंधक	"
5- श्री लालचन्द यादव पुत्र	श्री निठुरी सिंह यादव	"	कोषाध्यक्ष	"
6-श्रीमती आशा यादव पत्नी	श्री अमरनाथ यादव	" "	सदस्य	गृहकार्य
7-श्री भोलायादव पुत्र	श्री जगई यादव	ग्राम मढ़िया पो0मालपुर जिला गाजीपुर	"	कृषि
8-श्री काशीयादव पुत्रश्रीजगईयादव			"	

सुनीता मीरा सुनीता

—2 पर

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता ....
मिलान कर्ता ....

सुशीला	9-श्रीमती सुशीला यादव पत्नी श्री उदयप्रताप यादव	ग्राम पो0-होलीपुर जिला गाजीपुर		सदस्य	गृहकार्य
मीरा	10-श्रीमती मीरा यादव पत्नी श्री विजय प्रताप	ग्राम पो0 होलीपुरगाजीपुर		"	"
सूर्यनाथ	11-श्री सूर्यनाथ सिंह यादव पुत्र श्री लालचन्द यादव	"	"	"	"

6- हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त स्मृति पत्र सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 21 सन् 1860 के अन्तर्गत संस्था को पंजीकृत कराना चाहते है ।

क्र0सं0 नाम	पता	हस्ताक्षर
1- श्रीरमाशंकर सिंहयादव	ग्राम नसीरपुरपो0देवकली गाजीपुर	रमाशंकर
2-श्री हरिलाल यादव	ग्राम मढ़िया पो0 पटरही ~~गाजीपुर~~ जौनपुर	हरिलाल
3- श्री दशरथ यादव	" "	दशरथ
4-श्री मूलचन्द सिंह यादव	ग्राम पो होलीपुर गाजीपुर	मूलचन्दयादव
5- श्री लालचन्द यादव	" " "	लाल चन्द
6- श्रीमती आशायादव	" " "	आशा देवी
7-श्रीभोला यादव	ग्राम मऊयी पो0 माह्पुर गाजीपुर	[illegible]
8- श्री काशीयादव	" "	काशी यादव
9-श्रीमती सुशीला यादव	ग्राम पो0 होलीपुर गाजीपुर	सुशीला
10-" मीरायादव	" "	मीरा
11- श्री सूर्यनाथ सिंह यादव	" "	सूर्यनाथ

दिनांक - 31.3.94

सहायक निबन्धक सोसाइटी ... वाराणसी क्षेत्र ...
सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता ....
मिलान कर्ता ....

नियमावली

1- संस्था का नाम :- श्री मूलचन्द यादव शिक्षा समिति ।

2- संस्था का पता :- होलीपुर पत्रालय- होलीपुर, तहसील -सैदपुर जिला - गाजीपुर

3- संस्था का कार्य क्षेत्र :-सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी :-

अ- आजीवन सदस्य :- वे व्यक्ति जो संस्था को 500/रु0 नकद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल - अचल सम्पत्ति एक बार में देंगे, वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे ।

ब- सामान्य सदस्य :- वे व्यक्ति जो संस्था को 51/रु0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेंगे, वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगे ।

स- संरक्षक सदस्य :- वे समाज के सम्मानित व्यक्ति जो संस्था को सुचारु रूप से संचालित हेतु तन, मन एवं धन से पूर्ण रूपेण सहयोग प्रदान करेंगे, वे संस्था के प्रबंधकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से संरक्षक सदस्य मनोनीत कर लिये जायेंगे ।

5- सदस्यता की समाप्ति :- निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी :-

1- किसी सदस्यों के मृत्यु होने पर।

2- किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।

3- किसी सदस्य के संस्था के विरुद्ध हानिकारक कार्य करने पर ।

44 किसी सदस्य के निर्धारित शुल्क जमा न करने पर।

5- किसी सदस्य के पागल या दीवालिया होने पर।

6- किसी सदस्य के स्वयं लिखित त्याग-पत्र देने पर।

6- संस्था के अंग :- संस्था के दो अंग होंगे :-

अ- साधारणसभा

ब- प्रबंधकारिणी समिति

7- साधारण सभा :-

अ- गठन :- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नम्बर चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

---2 पर

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान

ब- बैठकें :- साधारणसभा के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसीभी समय बुलाई जा सकती है। ~~संस्था की बैठक संस्था के पंजीकृत कार्यालय पर होगी~~ द२।२५

स- सूचना अवधि :- साधारणसभा के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

द- गणपूर्ति :- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों के कम से कम 2/3 उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

य-वार्षिक अधिवेशन :- संस्था का वार्षिक अधिवेशन 26 जनवरी के अवसर पर हर वर्ष हुआ करेगी।

र- साधारणसभा के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1- संस्था के गत वर्ष के बजट एवं कार्यकलापों आदि परविचार करना तथा आगामी वर्ष के लिये स्वीकृति प्रदान करना।

2- प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव नियमानुसार करना।

3- संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान करना।

4- प्रबंधकारिणीसमिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार कर उसे स्वीकृत करना।

6- प्रबंधकारिणी समिति :-

अ- गठन :- साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से प्रबंधकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री , प्रबंधक एवं कोषाध्यक्ष के अलावा शेष सामान्य सदस्य होंगे ।

ब- बैठकें :- प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

—3 पर

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बाराबंकी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

हरिलाल
द२।२५
मूलचन्द्र यादव
लालचन्द्र
आशा देवी
ह० भोला यादव
भारती यादव
सुशीला

स – सूचना अवधि :– प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 7 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से एक दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

द– गणपूर्ति :– प्रबंधकारिणी समिति के कम से कम दो तिहाई उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

य– रिक्त स्थानों की पूर्ति :– प्रबंधकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का स्थान रिक्त होने पर साधारणसभाके बहुमत से शेष अवधि के लिये साधारण सभा के सदस्यों मे से किसी भी योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लियाजायेगा ।

र–प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– संस्था के गत वर्ष के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना।

2– संस्था को सुचारू रूप से संचालित हेतु उपसमितियों का गठन करना।

3– संस्था के लिये चल– अचल सम्पत्तियों की व्यवस्था करना तथा उसकी देख –रेख करना।

4– वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति आदि के लिये निर्णय लेना ।

5– संस्था के लिये अनुदान, दान, चन्दे आदि प्राप्त करना ।

6– अन्य सभीकार्यों का संचालन करना जो संस्था के हित में आवश्यक होंगे ।

ल– कार्यकाल :– प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से पाँच वर्ष का होगा ।

9– प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अध्यक्ष :–

1– संस्था के साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति के बैठकों की अध्यक्षता करना।

2– [illegible] करने के लिये प्रबंधक के साथ [illegible] दिनांकों का अनुमोदन करना तथा उसमें परिवर्तन करना।

3– किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर एक अलग निर्णायक मत देना।

—— 4 पर

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा उनके निर्देशों का पालन करना।

प्रबंधक :- 1- संस्था के लिये अनुदान, दान, चन्दे आदिप्राप्त करना तथा उसके लिये यथाविधि रसीदे देना।
2- आवश्यकतानुसार सामान्य एवंविशेष आवश्यक बैठक बुलाना कोरम के अभाव में बैठके स्थगित करना।
3- वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथाअन्य देय धनराशि आदिका भुगतान स्वीकृत करना।
4- वैतनिक कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
5- आय-व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना या कराना।
6- बैठक करने के लिये सूचनाये देना। तथा बैठक कीकार्यवाही लिखना।
7- संस्था से संबंधित कागजातों, पत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
8- संस्था के विकास एवं विस्तार के लिये सम्पर्क स्थापित करना। तथा संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
~~xxxxसंस्थाxxकीxxओरxxसेxxपत्रxxव्यवहारxxकरनाxxxx~~
9- संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना
10- समय-समय पर संस्था के हित में आवश्यक सुझाव एवं निर्देश देना।
11- अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे।

मंत्री :- 1- संस्था के कार्यों की देख-रेख करना।
2- प्रबंधक के राय से बैठक करने के लिये सूचनाये देना।
3- प्रबंधक के अनुमतिसे बैठक में की गयी कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना।
4- अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो उन्हे प्रबंधसमिति द्वारा सौंपे जाँय।

कोषाध्यक्ष :- 1- संस्था के निधियों एवं सम्पत्तियों के लेखे को तैयार करना।
2- आय-व्यय का हिसाब - किताब तैयार करना तथा उसे प्रबंधक को देना।
3- संस्था के समस्त आय को संस्था के कोष में जमा करना।

- 5 पर

रामयोगल
हरिकान्त
दशरथ
मूलचन्द्यादव
लालचन्द
आशा देवी
भोला यादव
काशीयादव
सुनीता
मीरा
रूपनाथ

सत्य प्रतिलिपि
कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

4- अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो उन्हें प्रबंधक द्वारा सौंपे जाँय।

10- संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

साधारण सभा के 2/3 बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

11- संस्था का कोष :- किसी भी स्थानीय/राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था का समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबंधक के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

12- संस्था के आय-व्यय का लेखापरीक्षण :-

संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबंधकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय-व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय-व्यय का लेखा-परीक्षण कराई जायेगी।

13- संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :-

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधक पर होगा।

14- संस्था के अभिलेख :- संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होंगे :-

1- कार्यवाही रजिस्टर
2- सदस्यता रजिस्टर
3- स्टाक रजिस्टर
4- कैशबुक आदि होंगे।

15- संस्था के विघटन :- संस्था के विघटन तथा विघटित सम्पत्ति के निस्तारण कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य - प्रतिलिपि

दिनांक - 31.8.94

हस्ताक्षर :-

रमाशंकर हरिकान्त दशरथ मूलचन्द यादव मानचन्द आशा देवी

भोला यादव काशीनाथ सुनीता मीरा रामनाथ

प्रतिलिपि

लिपि कर्ता
मिलान कर्ता